**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2530**
**दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या की घटनायें**

**†2530. श्री कोडिकुन्निल सुरेशः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि गत सात वर्षों के दौरान सोशल मिडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों द्वारा भड़काई गई भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के 15 मामलों में लगभग 27 लोगों की मौतें हुई हैं;**
**(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है और एक विधिक रूपरेखा बनाने और उक्त घटनाओं की निगरानी और इन्हें रोकने हेतु विनियम जारी करने की मंशा है;**
**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**
**(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां बच्चों के अपहरण के बारे में ऑनलाइन फैलायी गई अफवाहों के कारण भीड़ द्वारा हिंसा और पीट-पीटकर हत्या करने के अनियंत्रित हमले हुए हैं;**
**(ङ) क्या विभिन्न राज्य पुलिस बलों द्वारा कथित रूप से कार्रवाई न करने से संबंधित रिपोर्टों की जांच की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**
**(च) क्या गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया अफवाहों द्वारा भड़काने के कारण भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने और हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और सामुदायिक पहुंच कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को कोई परिपत्र जारी किया है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपराध को रोकने, उनका पता लगाने, उनका पंजीकरण और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, गृह मंत्रालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को परामर्शी पत्र जारी किए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार तुरंत सजा मिले, जो कानून को अपने हाथों में लेता है। कुछ राज्यों में बच्चों को उठाने/उनका अपहरण करने की अफवाहों से भड़की भीड़ द्वारा व्यक्तियों को पीट-पीट कर मारने के मामले में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 04.07.2018 को भी एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था ताकि हिंसा भड़काने की संभावना वाली फर्जी खबरों तथा अफवाहों के फैलने पर नजर रखी जा सके, और उनसे कारगर ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा सके तथा कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जा सके। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को देश में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटनाओं को रोकने के उपाय करने के लिए दिनांक 23.07.2018 और 25.09.2018 को परामर्शी पत्र जारी किए गए थे। सरकार ने भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मारने के आंतक को रोकने के लिए ऑडियो-विजुअल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है। सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा और पीट-पीट कर मारने को बढ़ावा देने की संभावना वाली झूठी खबरों और अफवाहों को फैलाने से रोकने हेतु कदम उठाने के लिए सेवा प्रदाताओं को भी संवेदनशील बनाया है।

*******